अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल की बैठक दिनांक 29 सितम्बर 2018–**शिर्डी** में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या:6 जनगणना में अलग धर्म-कोड की मांग भ्रामक और अतार्किक, धर्मान्तरण में लगी शक्तियों के षडयंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता.

भारत में जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है ऋग्वेद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अकबर के समय की आइन-ए-अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख है. प्रत्येक दश वर्ष के निश्चित अन्तराल से, पूरे देश में एक ही समय एक साथ होने वाली वर्तमान स्वरुप की पहली जनगणना ई. सन 1881 से प्रारंभ हुई जो तब से लेकर आज तक लगातार होती आ रही है. ब्रिटिश शासन में यह कार्य भारत सरकार (गृहसरकार जावक सांख्यिकी परिपत्र संख्या 2 दिनांक 23 जुलाई 1856) के अंतर्गत होता था, इसके लिए कोई कानून नहीं था. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जनगणना अधिनियम, 1948 पारित हुआ. देश की सातवीं व स्वतन्त्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई व उसके बाद की भी सभी जनगणनाएं इसी कानून के अंतर्गत हो रही हैं.

जनगणना में किसी भी देश की सार्वभौम, लोकतान्त्रिक व कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों की संख्या गिनने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जानकरी प्राप्त कर उनके विकास के योजनाबद्ध प्रयास करती है. सरकार इन आंकड़ों का उपयोग देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणामों का अध्ययन-विश्लेषण कर आवश्यक कदम उठाने के लिए भी करती है.

विगत 2/3 जनगणनाओं से देश में जनजाति समाज के अन्दर से कुछ लोग यह मांग कर रहे हैं कि जनजातियों के लिए एक पृथक धर्म्कोड दिया जाए. जनजाति समाज के बाहर की निहित स्वार्थ वाली कुछ शक्तियां इस मांग को हवा दे रही हैं. इन शक्तियों को भी पहचानने की आवश्यकता है. परन्तु उसके पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि धर्म-कोड क्या है. जनगणना के समय प्रगणक घर-घर जाकर किसी मकान में रहने वालों लोगों की संख्या, स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका, आयु, उनकी शिक्षा, बिजली, पेय-जल, शौचालय, फोन, टीवी जैसी सुविधा आदि के बारे में चाही गई जानकारियां एक फार्म में भरता है. इसके साथ ही उनकी जाति एवं धर्म के बारे में भी लिखता है. प्रगणक के लिये यह अनिवार्य होता है कि जो जानकारी उसे दी जाती है वही फार्म में भरे. परन्तु यदि कोई परिवार अनु. जाति या जनजाति का है तो उस जाति के बारे में आवश्यक प्रमाण-पत्र देखकर, संतुष्ट होकर ही वह फार्म में भरेगा. परन्तु धर्म के बारे में ऐसा नहीं है, प्रगणक को जो भी धर्म बताया जाएगा वही उसे भरना होगा.

बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करते समय धर्म से सम्बंधित ये आंकड़े 8 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध कर प्रकाशित किए जाते हैं. **इन श्रेणियों को ही धर्म-कोड के नाम से पुकारा जाता**

है. ये 8 श्रेणियां है 1. हिन्दू, 2. मुस्लिम, 3. ईसाई, 4. सिख, 5. बौद्ध, 6. जैन, 7. अन्य धर्मावलम्बी (ORPs) और 8. धर्म नहीं बताया (RNS).

1881 से लेकर 1941 तक प्रकाशित जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि अनु. जनजातियों में से 90 से 95% से भी अधिक लोगों ने अपने आपको हिन्दू अंकित करवाया है. तब तक जनजातियों में से 4% से भी कम लोग अपने को सेंगखासी, रांग्फ्रा, डोनीपोलो/सीडोनीपोलो, बाथो इत्यादि धर्म अंकित करते थे जो कि अधिकतर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में निवास करते हैं. वहीँ की कुछ जनजातियाँ बौद्ध भी लिखाती थी. तब तक चर्च उनमे से केवल 1 से 2 प्रतिशत लोगों को ही धर्मान्तरित कर ईसाई बना पाया था. "अनु. जनजाति" शब्द का उपयोग पहली बार भारतीय संविधान में 1950 में आया है, परन्तु उसके पूर्व भी अंग्रेजों ने जनगणना में उन्हें एनिमिस्ट, प्रकृति-पूजक, ट्राइब/आपराधिक ट्राइब जैसे नाम देकर शेष समाज से अलग करने का प्रयास किया परन्तु उसमे वे सफल नहीं हुए

2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनु. जनजातियों की जनसँख्या लगभग 10.5 करोड़ थी इनमे से लगभग 80% लोगों ने अपने को हिन्दू, 10% लोगों ने ईसाई, 7.3% लोगों ने अन्य धर्म, 1.5% ने मुस्लिम, 0.75% ने बौद्ध और 0.17 ने कोई धर्म नहीं लिखवाया था.

विविधता में एकता हमारी विशेषता है, इस पर हम गर्व करते हैं. किसी गाँव में किसी जनजाति में से 10 लोग भी यदि अपना कोई अलग धर्म लिखवाते हैं तो जनगणना के उस प्रान्त/जिले/गाँव के रजिस्टर में वह सब लिखा जाता है, सुरक्षित रहता है, देश, राज्य, समाज सब की जानकारी में रहता है.

देश के 5-7 हज़ार लोग मिलकर यह मांग करें कि हमें एक ही धर्म में डालो तो क्या जनजातियों में से डोनीपोलो, रांगफ्रा, आदी, गालो, निशी, खासी, आदि लोग इसे स्वीकार करेंगे ? क्या जनजातियों में से मुस्लिम या ईसाई बने लोग इसे स्वीकार करेंगे कि उनको भी किसी एक आदिवासी धर्म जैसे सरना या गोंडी या भीली या संथाली धर्म में डाल दिया जाए? जब वे स्वीकार नहीं करेंगे तो जनजातियों में से 80% हिन्दू धर्म मानने वाले लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह मांग न केवल एकदम बेमानी और अतार्किक है बल्कि गैर-क़ानूनी व अव्यावहारिक भी है. गैर-क़ानूनी इसलिए कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी श्रद्धा-विश्वास के धर्म को अंकित करवाए, उसका यह अधिकार जनगणना विभाग या सरकार छीन नहीं सकती. और अव्यावहारिक इसलिए कि देश भर में जनजाति समाज अभी 110 से भी अधिक धर्म अंकित करवा रहा है. क्या जनगणना में उनके लिए 110 धर्म-कोड दिए जा सकते हैं ?

अनु. जाति एवं अनु. ज.जा. एक संवैधानिक संज्ञा है, इनकी गिनती कर उन्हें एक अलग टेबल में प्रकाशित भी किया जाता है. यदि जनजातियों की समस्त जनसँख्या को एक ही धर्मकोड में डालना है तो उनके धर्म की अलग से गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं होगी.

यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है यदि कोई अपने को हिन्दू धर्म में अंकित करवाएगा तो उनकी अनुसूचित जनजाति की मान्यता समाप्त हो जाएगी, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. क्या ईसाई धर्म अंकित कराने वाले किसी जनजाति व्यक्ति की मान्यता आज तक रद्द हुई है जोकि केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनन और जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद् मेघालय मामले में मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में समाप्त हो जानी चाहिए थी ? तो फिर हिन्दू अंकित कराने वालों की मान्यता कैसे रद्द होगी ?

जनजातियों का धर्मान्तरण करने वाली शक्तियां इसकी आड़ में भ्रम फैलाकर न केवल जनजातियों में से सनातन हिन्दू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या कम करने का षडयंत्र कर रही हैं बल्कि अन्य धर्मावलम्बियों (ओआरपी) की संख्या बढाकर जनजाति समाज को ही कमजोर करना चाहती हैं ताकि बाद में उनका धर्म बदला जा सके जैसा कि विगत 50 वर्षों में उत्तर-पूर्व के राज्यों में हुआ इसे भी समझने की आवश्यकता है.

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कल्याण आश्रम का केन्द्रीय कार्यकारी मंडल सम्पूर्ण जनजाति समाज को इस षडयंत्र से सावधान करना करना चाहती है. जो स्वयं या जिनके पूर्वज पहले से ही अपने को हिन्दू लिखाते आरहे हैं ऐसे सभी जनजाति समुदायों से कार्यकारी मंडल आह्वान करती है कि वे आगामी जनगणना में अपना धर्म हिन्दू ही अंकित करवाएं जैसा वे अब तक कराते आ रहे हैं.

कार्यकारी मंडल केंद्र सरकार से भी यह मांग करती है कि वह जनजातियों में से भ्रमित एक छोटे से समूह की अतार्किक, अवैध, अव्यावहारिक, उनके अपने ही जनजाति समूह के हितों के विरुद्ध, सभी अनुसूचित जनजातियों के हितों के विरुद्ध और व्यापक राष्ट्रीय हितों पर दूरगामी विपरीत प्रभाव डालने वाली ऐसी किसी भी मांग की अनदेखी कर दे.

ॐ